

8/12/2012

यकुलाम उपर जवाब का हेतु अपर-धर  
जो आधील में दिमा जाता है मिसल कि  
8/12/2012 का पत्र हो

*[Signature]*  
सहायक कमिश्नर एस.डी.ओ.  
आयत. जिला नागौर

8/12/2012

फावली पत्र हुई यकुलाम अनुपस्थित।  
आवाजे लावाई गई परन्तु कोई पक्षकार /  
नाधिष्ठा प्रकरण राजा में उपस्थित नहीं  
है। अतः वाद अधीन धरा 53, 88,  
188 R.T. Act हुक्म होजरी व हुक्म देरवी  
में खारिज दिमा जाना है मिसल अपने  
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है

*[Signature]*  
सहायक कमिश्नर एस.डी.ओ.  
आयत. जिला नागौर

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रा. प्रा. पत्र

१५४/२०१२

०४/५१५

पत्रावली पत्रा हुई सफरन राजा से संबंधित  
 मूल वाद सं २९१/२०१२ इफम टापरी व इफम  
 पैरवी में खारिज किया जा चुका है उक्त  
 सफरन से संबंधित मूल वाद खारिज हो  
 जाने से सफरन राजा पोखरीम नही रह  
 है इला: साक्षी का राजा पोखरीम नही  
 होने से खारिज किया जाता है पत्रावली  
 फिलहाल सुमाट होकर मूल वाद के खारिजी  
 पाकर दाखिल नमाट हो

*[Handwritten signature]*  
 नरसुद  
 जज

*[Faint, mostly illegible handwritten notes and text]*